*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2019 163 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 6/01/2020

विषयः– "मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना" अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित नगर पंचायतों को पंचम् राज्य वित्त आयोग के Grant की राशि में से ₹550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख रु०) मात्र पुरस्कार हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से विभागीय संकल्प संख्या– 6531, दिनांक– 06.10.2017 के आलोक में Open Defecation Free (ODF) Status के आधार पर चयनित नगर निकायों को "मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" के नाम से पुरस्कार राशि दिया जाना है।

2. मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभागीय संकल्प सं०– 6531, दिनांक– 06.10.2017 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :–

(i) मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पुरस्कार हेतु नगर निकायों का चयन Open Defecation Free (ODF) Status के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों में से किया जाएगा।

(ii) नगर निगम के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नगर निगम को क्रमशः ₹250.00 लाख, ₹200.00 लाख एवं ₹150.00 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

(iii) नगर परिषद् के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम नगर परिषद् को क्रमशः ₹175.00 लाख, ₹150.00 लाख, ₹125.00 लाख, ₹100.00 लाख एवं ₹100.00 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

(iv) नगर पंचायत के स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम् एवं दसम नगर पंचायत को क्रमशः ₹100.00 लाख, ₹90.00 लाख, ₹80.00 लाख, ₹70.00 लाख, ₹60.00 लाख, ₹50.00 लाख, ₹40.00 लाख, ₹30.00, ₹20.00 लाख एवं ₹10.00 लाख पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

3. पंचम् राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप Open Defecation Free (ODF) Status के आधार पर निम्नलिखित नगर निकायों को मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के लिए चयनित किया गया है :–

(राशि लाख में)

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	श्रेणी	प्रोत्साहन की राशि	स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*		
1	नगर पंचायत, महाराजगंज	प्रथम	100.00	100.00
2	नगर पंचायत, डुमरा	द्वितीय	90.00	90.00
3	नगर पंचायत, बेलसंड	तृतीय	80.00	80.00
4	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	चतुर्थ	70.00	70.00
5	नगर पंचायत, दाउदनगर सम्प्रति उत्क्रमित नगर परिषद्, दाउदनगर	पंचम	60.00	60.00
6	नगर पंचायत, नासरीगंज	षष्ठम	50.00	50.00
7	नगर पंचायत, कोआथ	सप्तम	40.00	40.00
8	नगर पंचायत, ढाका सम्प्रति उत्क्रमित नगर परिषद्, ढाका	अष्टम	30.00	30.00
9	नगर पंचायत, जगदीशपुर	नवम्	20.00	20.00
10	नगर पंचायत, रामनगर	दसम	10.00	10.00
		योग	**550.00**	**550.00**

4. उक्त कंडिका– 3 के आलोक में तालिका में अंकित कुल 10 नगर पंचायतों को पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में Grant की राशि में से विभागीय संकल्प सं०– 6531, दिनांक– 06.10. 2017 के अनुरूप कुल ₹550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख रु०) मात्र।

5. स्वीकृत कुल ₹550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर पंचायतों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

6. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की

राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।''

8. उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹550.00 लाख (पाँच करोड़ पचास लाख रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–0005–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान–विपत्र कोड–**48-2217801930005,** विषय शीर्ष–0005.31.04 से ₹275.00 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख रु०) एवं विषय शीर्ष–0005.31.05 से ₹275.00 लाख (दो करोड़ पचहत्तर लाख रु०) की निकासी की जाएगी।

9. प्राप्त पुरस्कार/प्रोत्साहन राशि का व्यय संबंधित नगर निकायों द्वारा विभागीय संकल्प सं०–6531, दिनांक– 06.10.2017 के अनुसार संबंधित नगर निकाय बोर्ड के निर्णयानुसार नगरपालिका अधिनियम में उद्धृत दायित्वों के निर्वहन पर किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/राज्य वित्त आयोग –25–02/2019 के पृष्ठ सं०–.....43...../टि० पर दिनांक–.26/12/2019... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– .....45...../टि० पर दिनांक–...27/12/2019.. को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

06.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2019 163 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक–6/01/2020

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.01.20

सरकार के विशेष सचिव।